

प्रशासकीय मान्यता

मंगरुळपीर, जि.वाशिम येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टिल्ट + ४ मजले) (६ कोर्ट हॉल + १ पोक्सो) बांधण्यासाठी देण्यात आलेली मूळ प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन नवीन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**

**विधि व न्याय विभाग**

**शासन निर्णय,क्रमांक:- सीसीबी-११२४/प्र.क्र.१८१/का.१३**

मादाम कामा मार्गहुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०२५.

**पहा :-**

- १) शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२३/प्र.क्र.१८१/का.१३, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४.
- २) मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्यू) ६०४५/२०१३/(३७)/१३८७/२७७६८, दिनांक २५ जून, २०२५.
- ३) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२५.

**प्रस्तावना :-**

मंगरुळपीर, जि. वाशिम येथे नवीन न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरीता संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु सदर न्यायालयीन इमारत बांधकामासाठीच्या क्षेत्रफळामध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्रान्वये बदललेल्या आराखड्यास मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने, सदरहू इमारतीच्या बांधकामास प्रदान करण्यात आलेली, मूळ प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन, नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

मंगरुळपीर, जि.वाशिम येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टिल्ट + ४ मजले) (६ कोर्ट हॉल + १ पोक्सो) बांधण्यासाठी देण्यात आलेली मूळ प्रशासकीय मान्यता अधिक्रमित करुन रु. ५१.१३ कोटी (रुपये ऐकावन्न कोटी तेरा लाख) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

## २. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :-

- १) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.
- २) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वाशिम यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतीम करण्यात याव्यात.
- ३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- ४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी.
- ५) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.
- ६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दिनांक ७ जुलै, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी.
- ९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करू नये.
- १०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करू नयेत.
- ११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

३. उपरोक्त कामासाठी " मागणी क्र. जे-४, ४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१- कार्यालयीन इमारती, ०५१, बांधकाम (०२) विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम व न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे (०२) (०१) विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम व न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४०५९ ३३७७), ५३ मोठी बांधकामे, तसेच मागणी क्र. जे-४, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१-कार्यालयीन इमारती,

०५१, बांधकाम, (०१) न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, (०१) (०१) न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा ४०%) (४०५९ ३२६१), ५३ मोठी बांधकामे व (०१) (०४) न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) (४०५९ ३२९७), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये.

४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४१/२०२५ /इमा-२, दिनांक २४ जुलै, २०२५ व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५११०६१४५८०५५७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(विलास वसंत गायकवाड)

विधि सल्लागार -नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
- २) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
- ३) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई
- ४) मा. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई
- ५) मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वाशिम
- ६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर

- ७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती
- ८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला
- ९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह)
- १०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम
- ११) कक्ष अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १२) कक्ष अधिकारी (व्यय-५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १३) कक्ष अधिकारी, (का.१४४३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १४) अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२.
- १५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १६) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
- १७) निवड नस्ती (का. १३) /संग्रहार्थ.

|  |   |                        |          |  |   |             |
|--|---|------------------------|----------|--|---|-------------|
| Name of the Department : Law and Judiciary Department  |   |                        |          |  |   |             |
| Name of Work : Construction of New District Court Building & Session Court at Mangrulpir, Dist - Washim. |   |                        |          |  |   |             |
| Executing Agency : Public Works Department   |   |                        |          |  |   |             |
| Land Availability : Yes  |   |                        |          |  |   |             |
| Architect : Government   |   |                        |          |  |   |             |
| RECAPITULATION SHEET   |   |                        |          |  |   |             |
| Sr. No.  | Particulars of Scope  |                        |          | Unit Rate Norms<br>Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum | Cost in Lacs<br>Component Wise      Total |             |
| (A)  | ESSENTIAL ITEMS (Components)  |                        |          |  |   |             |
| 1  | Building proper (Built Up Area - Sq.m)  |                        |          |  |   |             |
|  | Still Floor   | 494.20                 | Sq. M    | 16,000   | 79.07                                     |             |
|  | First Floor   | 2320.47                | Sq. M    | 28,000   | 649.73                                    |             |
|  | Second Floor  | 2320.47                | Sq. M    | 28,000   | 649.73                                    |             |
|  | Third Floor   | 2470.53                | Sq. M    | 28,000   | 691.75                                    |             |
|  | Fourth Floor  | 2470.53                | Sq. M    | 28,000   | 691.75                                    |             |
|  | Total B.U.A. =  |                        | 10076.20 | Sq. M  | Sub Total (A1)                            | 2,762.03    |
| 2  | Electrification   |                        |          | Internal   | 5% of (A1)                                | 138.10      |
|  |   |                        |          | External   | 6% of (A1)                                | 165.72      |
|  | Fire Fighting Arrangements etc.   |                        |          | @800/Sq.m  | 80.61                                     |             |
|  | Lift  | 4                      | Nos      | 2,000,000  | 80.00                                     |             |
|  | Air Conditioning  |                        |          | L.S.   | 75.00                                     |             |
|  | CCTV  |                        |          | L.S.   | 15.00                                     |             |
|  | Pump House & Borewell   |                        |          | L.S.   | 20.00                                     |             |
|  | AB Room, Area Lighting, Pumps & Generator                                       |                        |          | L.S.   | 25.00                                     |             |
|  |   |                        |          |  | Sub Total (2)                             | 599.43      |
| 3  | Water Supply & Sanitary Works   |                        |          | 5% of (A1)                                       | Sub Total (3)                             | 138.10      |
| 4  | Furniture   | 5754.77                | Sq. M    | 5,000  | Sub Total (4)                             | 287.74      |
|  |   |                        |          |  | Sub Total (A)                             | 3,787.31    |
| (B)  | MISCELLANEOUS ITEMS   |                        |          |  |   |             |
|  | Compound Wall & Gate (Rmt)  | 355                    | Rmt      | 8,000  | 28.40                                     |             |
|  | Water Main Storage  | 200000                 | Litres   | 23   | 46.00                                     |             |
|  | Internal road, Land Development, Parking, Land Scaping, Soil Investigation etc. |                        |          | 4 5% of (A1)                                     | 124.29                                    |             |
|  |   |                        |          |  | Sub Total (B)                             | 198.69      |
|  |   |                        |          |  | Project Cost (P)= (A) + (B)               | 3,986.00    |
| (C)  | PROVISIONS  |                        |          |  |   |             |
|  | (i) Contingencies   | 4% on (sub total A1)   |          |  | 110.48                                    |             |
|  | (ii) GST  | 18% on (P)             |          |  | 717.48                                    |             |
|  | (iii) Price Escalation  | 5% on (P)              |          |  | 199.30                                    |             |
|  | (iv) PMC Charges  | 1.5% on (P) (Incl GST) |          |  | 59.79                                     |             |
|  | (v) Labour Insurance  | 1% on (P)              |          |  | 39.86                                     |             |
|  |   |                        |          |  | Sub Total (C)                             | 1,126.91    |
|  | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C)   |                        |          |  |   | 5,112.91    |
|  | Say in Crores   |                        |          |  |   | 51.13       |
| 1  | Bldg Civil (A1)   |                        |          | =  | Rs  | 27,411 /Sqm |
| 2  | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A)                                  |                        |          | =  | Rs  | 37,587 /Sqm |
| 3  | Total (A+B)   |                        |          | =  | Rs  | 39,559 /Sqm |
| <div>Indeep<br/>26.1.19</div>  |   |                        |          |  |   |             |

*Srideep*  
26.1.92